Speed Post

शुष्क वन अनुसंधान संस्थान
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्,
(पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वायत्त संस्था)
डाकघर : कृषि उपज मण्डी, न्यू पाली रोड, जोधपुर – 342005
ARID FOREST RESEARCH INSTITUTE
Indian Council of Forestry Research & Education,
(An Autonomous Body of the Ministry of Environment , Forests & Climate Change, Govt. of India)
P.O. Krishi upaz Mandi, New Pali Road, Jodhpur- 342005,

क्रमांक 1666/शुवअसं/सुएवंसेप्र/कय/भंडार अनुभाग/18(185)।I/2022 दिनांकः 15 फरवरी,2022

सेवा में,

....,
....,
....,
....।

विषय :– संस्थान की फोटोकॉपी मशीनों के पूर्ण सर्विस के वार्षिक रख–रखाव अनुबंध के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में लेख है कि वर्ष 2022–2023 के लिए संस्थान की फोटोकॉपी मशीन की पूर्ण सर्विस के वार्षिक रख–रखाव अनुबंध हेतु संलग्न निबंधन एवं शर्तो (अनुलग्नक–।) के अधीन निदेशक को संबोधित करते हुए मुहरबंद लिफाफे में कोटेशन आंमत्रित किये जाते है। विषय लिखा लिफाफा इस कार्यालय में दिनांक 02.03.2022 को 3.30 बजे तक कोटेशन बाक्स में डाले जायेगे। नियत दिनांक **02.03.2022** को **4.00** बजे प्राप्त कोटेशन खोले जायेंगे। अगर आप इच्छुक हों तो कोटेशन खुलने के समय स्वयं अथवा अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं। कोटेशन प्रस्तुत करने से पूर्व फोटोकॉपी मशीनों की जांच करने एवं जानकारी हेतु भंडार अनुभाग से सम्पर्क किया जा सकता है। निबंधन एवं शर्ते इस पत्र के साथ संलग्न है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

15/2/2022

(मनोज चौहान)
कय अधिकारी,
शुष्क वन अनुसंधान संस्थान,
जोधपुर

प्रतिलिपिः–**कोटेशन खोलने की नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित होने का श्रम करेंः–**

1. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान,जोधपुर।
2. प्रभारी अधिकारी,सूचना एवं प्रौधोगिकी प्रकोष्ठ,सुविधा एवं सेवा प्रभाग, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान,जोधपुर– आपसे अनुरोध है कि यह कोटेशन की सूचना को वेब साइट पर देने का श्रम करें।
3. भंडार अधिकारी,भंडार अनुभाग,द्वाराःप्रभागाध्यक्ष,सुविधा एवं सेवा प्रभाग,शुष्क वन अनुसंधान संस्थान,जोधपुर।
4. सूचना पट्ट

अनुलग्नक-I

फोटोकोपियर के वार्षिक रख-रखाव अनुबंध हेतु निबंधन और शर्ते

1. कोटेशन देने से पूर्व फर्म द्वारा सभी फोटोकॉपी मशीनो की जांच की जानी है, कोटेशन देने के बाद किसी फोटोकॉपी मशीन की मरम्मत करने से मना नही किया जायेगा।

2. वार्षिक रख-रखाव अनुबंध का प्रस्ताव देने वाली फर्म का जोधपुर में कम्पनी कार्यालय होना चाहिए।

3. आकस्मिक मरम्मत प्रयोजनार्थ कम्पनी कें पास कम से कम दो कुशल इंजीनियर जोधपुर कार्यालय में होने चाहिए, ताकि मशीन की मरम्मत हेतु 24 धंटों में शिकायत का निराकरण की जा सकें।

4. फर्म को वार्षिक रख-रखाव अनुबंध में उल्लेखित कार्यो को करने संबंधी उनके पिछले अनुभव से संबंधित दस्तावेज एवं फर्म के पंजियन संबंधी दस्तावेज भी कोटेशन के साथ उपलब्ध करवाने होंगे।

5. वार्षिक रख-रखाव अनुबंध हेतु फर्म को प्रत्येक मशीन की रख-रखाव दरें अनिवार्य रूप से दी जानी होंगी। वार्षिक रख-रखाव अनुबंध के लिए दर का निर्धारण करते समय लागू करों को जोड कर या अलग से दर्शाया जाए।

6. वार्षिक रख-रखाव अनुबंध हेतु प्रस्ताव देने वाली फर्म को संस्थान की ओर से सूचना मिलने के 24 धंटों के अंदर संबंधित फोटोकॉपियर की समस्या का निराकरण करना होगा। फर्म द्वारा समस्या का निराकरण 48 धंटे में नही करने की दशा में मशीन की पूर्ण रूप से मरम्मत होने तक के लिए फर्म को बतौर सुचारू व्यवस्था (Standby) हेतु मशीन का वांछित पुरजा (पुरजे) अथवा मशीन संस्थान को उपलब्ध करवानी होगी।

7. ऊपर उल्लिखित समयावधि में मशीन का सुचारू संचालन न होने तथा वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध नही करवाने की दशा में आप द्वारा संबंधित मशीन के प्रस्तुत किये गये पिछले विपत्र की चार गुना राशि अगले विपत्रों से काटी जाएगी।

8. फोटोकॉपी मशीन के अनुबंध अवधि एक वर्ष के लिए लागू मानी जाएगी।

9. सभी फोटोकॉपी मशीनो की अनुबंध अवधि में एक बार पूर्णरूप से सर्विस/सफाई की जानी होगी।

10. अनुबन्ध आदेश जारी होने के बाद कार्य को करने से मना करने एवं संतोषजनक सेवा देने में असमर्थ रहने की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुबंध को समाप्त कर जमा जमानत राशि को जब्त करने की कार्रवाई की जायेगी एवं द्वितिय न्युनतम दर प्रस्तुत करने वाली फर्म

की कुल राशि की अन्तर राशि आपकी फर्म से वसूल करने,फर्म को काली सूची में डालने एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

11. फर्म को मशीन के दोषपूर्ण पुरजा (पुरजे) बिना किसी लागत के बदलने होंगे तथा आवश्यकता अनुसार टोनर भरे जाने होंगे। मशीन में टोनर भरने के बाद मशीन की सफाई की जानी होगी।

12. संस्थान के बुलावे पर यदि फर्म के दोषपूर्ण पुरजा (पुरजे) को बदलने में असमर्थ रहने की दशा में संबंधित मशीन के बिल की राशि का 5 प्रतिशत प्रतिदिन के अनुसार काटा जाएगा।

13. मशीन का पुरजा (पुरजे) सावधानीपूर्वक बदलने होंगे तथा असावधानीवश मशीन को हुए किसी नुकसान अथवा क्षति की भरपाई फर्म से की जाएगी।

14. अनुबंध हेतु सफल फर्म को जमानत राशि के रूप में 10,000/- (अक्षरे दस हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट निदेशक,शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के नाम बना कर जमा करनी होगी जो कि संतोषजनक कार्य होने के बाद अनुबंध अवधि के समाप्त होने के बाद लौटा दी जाएगी। जमानत राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

15. संस्थान के किसी भी फोटोकॉपी मशीन के मरम्मत कार्य हेतु संबंधित प्रभाग/अनुभाग के संबंधित कर्मचारियों द्वारा आपको दूरभाष/मोबाईल पर सूचित किया जायेगा एवं उसी दिन या अगले दिन तक मशीन की जांच कर मशीन को ठीक किया जायेगा।

16. फर्म द्वारा संस्थान की सभी फोटोकॉपी मशीनो के विपत्रों तीन माह की अवधि के प्रस्तुत किये जायेगे। संबंधित फोटोकॉपी मशीन के विपत्र संबंधित प्रभाग/अनुभाग में प्रस्तुत किये जायेगे। सभी फोटोकॉपी मशीनों के विपत्रों की एक प्रति भंडार अनुभाग में प्रस्तुत की जायेगी।